

21<sup>3</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील वाकी/उमयपद  
समिति पीछरीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य  
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक...20/5/24 को पेश हो।

20<sup>5</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। आज अधिष्ठापकमण  
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली  
पूर्व आदेशानुसार दिनांक...22/5/24  
को पेश हो।

22<sup>5</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। आज अधिष्ठापकमण  
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली  
पूर्व आदेशानुसार दिनांक...6/6/24  
को पेश हो।

6<sup>6</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपद उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/6/24 को  
पेश हो।

7<sup>6</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपद उपस्थित।  
वकील अधिष्ठापक आदेशानुसार 212 को बिलदौलत  
दावा/मूलवाद के निरस्तकरण उक्त शर्तों की निवेदन  
पाठ्य होवे हेतु निवेदन किया।

वकील  
उमयपद

पत्रावली के संशोधन के लक्ष्य निम्न अनुसार है कि विवादित  
भारतीय जूटि भूमि के खसरा नम्बर 1567 रकबा 1.6400 है।  
वर्ष 1949 में नगर पंचायत इलाहाबाद कोल्डिडा तहसील व जिला  
खीरत की तहसील में अधिष्ठापक है। वकील अधिष्ठापक अधिष्ठापक एम  
अध्यायी संख्या 1 व 2 की संयुक्त शब्दावली की है। जिसमें अधिष्ठापक संख्या  
1 का 11/72 दिनांक अधिष्ठापक 2 का 11/72 दिनांक अधिष्ठापक संख्या 3 का  
1/36 दिनांक व अध्यायी संख्या 1 का 1/3 व अध्यायी संख्या 2 का  
1/3 संख्या, दिनांक एवं रकबा का है। अध्यायी संख्या 1 व 2 का खसरा  
कोई भी स्पष्ट-संकेत होने व वापस भूमि का दिग्ग अधिष्ठापक का  
विषय कोई भी अध्यायी देने के कारण उमयपद का। वह पेश कर  
अधिष्ठापक का अलावा अध्यायी को व अधिष्ठापक की अधिष्ठापक की अधिष्ठापक  
अध्यायी संख्या हेतु अध्यायी पेश किया है।  
वकील अधिष्ठापक ने अलावा के दौरान अपने अध्यायी  
के अध्यायी को दोहराते हुए निवेदन किया कि अध्यायी संख्या 1 व 2

**सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर**

पोलय  
 सुभिला मादि बनाम दिनदमाल मादि  
 सम मुकदमा 310 पत्र 212 मु. नं. 11/2021 वर्ष

क आज्ञा - पत्र

व्यवहार मही मानने एवं भूमि का विनिमय कोन पर शासना है। भूमि सुभिला खालेदारी की पेंहू हूँ भूमि है उसलिये उन्नम दृष्ट्या का मामला हाफणीय क्षति व सुविधा का संतुलन आजीवण के पक्ष में सुदृढ एवं प्रबल है।

वकील आजाजीवण द्वारा वदम के दौरान उन्नम उवाब आवेदन मम माउण्टर आवेदन के तबकी को दोहराते हुए व आवेदन मरुगति घाण 212 RTA 1955 का आदौरान दावा/मूलबाद के निस्तारण तक सच्चायी निवेद्याना से पाणथ क्रिये जाते हेतु सधमति व्यक्त की प्रवथा आरिये हस्ताहार अधिरशील नोते हुए।

वकील उन्नमपत्र की वदम पर मनन क्रिया गमा लमा पत्रावली के आवलीकन से स्पष्ट है कि खसरा नं 1567 खसरा 1.6400 हे० काँ गाम घडेल नगर पंचायत हलका कोलिडा तहसील वरिष्ण सीकर अवाचित सुभिला खालेदारी की हूँ भूमि है। वकील उन्नमपत्र की सधमति के आधार पर खसरा नं 1567 खसरा 1.6400 हे० काँ गाम घडेल नगर पंचायत कोलिडा की विवधित थराजिमाल पर उन्नमपत्र को आदौरान दावा/मूलबाद के निस्तारण तक सच्चायी निवेद्याना से रिमा की पत्रासिधति वनाये खबने हेतु पाणथ क्रिया गमा है। पत्रावली मसल सुमाए एकर मन्वरा से कम ही दाखिल दफतर है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर  
 यह मसला दिनांक 7/6/21 को प्रे मारा सुले  
 न्यायालय में सुनाया गया।

*(Signature)*  
 सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर